

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPPS/2024/123019/BGP/BAGHPAT/1055/CFD

दिनांक: 29-06-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स ST RV CONVENT SCHOOL (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता KH NO-639 AND 643 MOUJA JIWANA GULIYAN, MEERUT BARAUT ROAD, BARAUT तहसील - BARAUT, प्लॉट एरिया 6746.65 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 1193.17 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बैंगमैन्ट की संख्या	ऊँचाई
ST RV CONVENT SCHOOL	2	0	7.35 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स ST RV CONVENT SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एनओसीओ एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसओ के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 01-07-2024 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री PRATHAM E-Mail ID : prathamjstrv@gmail.com Mobile No. : 9548198138 के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः परनगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सैफ्टी सर्टिफिकेट) एनओसीओ की अधिभोग कंपनी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 03-07-2024 से 03-07-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्तों के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स ST RV CONVENT SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स ST RV CONVENT SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे।

Note : अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की स्थलीय भौतिक निरीक्षण आख्या के आधार पर यह प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है 1-एजेन्सी से भवनों में स्थापित अग्निशमन उपकरणों के संचालन का परीक्षण एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण जनवरी एवं जुलाई माह में कराकर कार्यशीलता का प्रमाण पत्र विभाग को प्रेषित करें 2-प्रस्तुत मानचित्र में उल्लेखित भवन के अतिरिक्त निर्माण हेतु अलग से स्वीकृति ली जाये 3-दायागत सुरक्षा व्यवस्थाएँ तथा अन्य विधिक प्रावधान विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी /प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कराये गये मानचित्र के अनुसार ही रखा जाना वांछनीय होगा। कमी भी सुरक्षा मानकों की अवहेलना करने पर भवन स्वामी स्वयं उत्तरदायी/जिम्मेदार होंगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, नृपदाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके अज्ञात पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 03-07-2024
स्थान : BAGHPAT

इन्सायर (निर्गत अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Amarendra Pratap Singh)

[644961A840390B91F8EA35454EA0E9A857F82D2F]

03-07-2024